माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी 420-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

43 12.2.15

उमाशंकर सोनी तनय श्री भगवानदास सोनी, निवासी कटरा रीवा, थाना सिटी कोतवाली, तहसील हुजूर, जिला–रीवा म0प्र0

..................आवेदक / निगरानीकर्ता

**बनाम**

म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल द्वारा कार्यपालन यंत्री रीवा म0प्र0

..............अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

श्री विजय कुमार मिश्रा एड0 द्वारा आज दिनांक 12.02.15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4684
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त

23.2.15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला रीवा, पारित प्रकरण क्र0 364 अ–12 / 2010–11 आदेश दिनांक 13 / 12 / 2014.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–रा0 संहिता सन् 1959 ई0।

## प्रकरण के तथ्य

यहकि विन्ध्य बिहार कालोनी पड़रा रीवा में आवेदक / निगरानीकर्ता की शासकीय कालोनी स्थित है, जिसमें एल.आई.जी. वरिष्ठ एवं एम.आई.जी. एवं डयूप्लेक्स मकानें निर्मित है, यह तथ्य सही एवं स्वीकार है तथा रिक्त भूमियों के अधिग्रहण के पश्चात् म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल रीवा द्वारा सीमांकन कराया गया होगा, परन्तु विवादित स्थल एल.आई.जी. वरिष्ठ का मकान जिसके बगल में अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता जिसकी भूमि खसरा नं0 383, 384 है, का भूमिस्वामी एवं स्वत्वाधिकारी है, जिसकी भूमि विवादित स्थल एल.आई.जी. वरिष्ठ मकान के उत्तर तरफ भूमि एवं बगीचा है, उसके बीच में सीमांकन के पश्चात् कोई तार की बाउन्ड्री कभी नही लगाई गई थी जोकि म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल का सरासर झूठा कथन है तथा सीमांकन के समय म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल द्वारा समीपवर्ती कास्तकार या भूमिस्वामी को मौके पर कभी नही बुलाया गया था, मनमानी तरीके से गैरनिगरानीकर्त्ता को बिना सूचना दिये पूर्व में म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल द्वारा सीमांकन कराया गया था, जो अवैधानिक था। उसके बाद कुछ जगह छोड़कर एल.आई.जी. वरिष्ठ मकानों का निर्माण करा दिया गया था, तथा कुछ समय बाद भवनों गंदे पानी के निकासी के लिये गैरनिगरानीकर्ता की भूमि नं0 383, 384 में नाला का निर्माण करा दिया गया तथा गैरनिगरानीकर्ता की ओर से आपत्ति किया गया था, उसमें म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल के कार्यपालन यंत्री एवं कर्मचारियों द्वारा यह कहा गया था कि तुम भी अपना सीमांकन करा लो, सीमांकन के पश्चात् जहॉ से नाप हो जायेगी वहॉ से मेरा विभाग कब्जा हटा लेगा, लेकिन ऐसा नही किया गया और जब अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी भूमिस्वामित्व की भूमि आराजी खसरा क्र0 383, 384 का सीमांकन विधिवत् तरीके से निर्धारित फीस चालान से जमाकर सीमांकन का आवेदन दिया गया, उसके बाद तहसीलदार साहब द्वारा सीमांकन करने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद तत्कालीन पटवारी हल्का ढ़ेकहा द्वारा दिनांक 8 / 3 / 2011 को सूचनापत्र जारी किया गया था और म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल रीवा के अधिकारियों को सूचना भी दी गई थी, तो उन्होनें कहा कि जब

उमाशंकर सोनी

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-420/तीन/15 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3.2.16 | प्रकरण में निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया।<br>हालांकि पहले गैरनिगरानीकार को सुनने का लेख इस प्रकरण की आदेश पत्रिका में है, किन्तु विचारोपरान्त मैं ग्राह्यता की वर्तमान स्टेज पर इसकी आवश्यकता नहीं समझ रहा, अतः यह आदेश पारित कर रहा हूँ।<br>निगरानीकार अधिवक्ता का तर्क था कि उसकी भूमि के सीमांकन में उसकी भूमि पर गैरनिगरानीकार म.प्र. गृह निर्माण मण्डल का अवैध कब्जा पाया गया था। इसके विरुद्ध गृहनिर्माण मण्डल ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी की थी, जिसमें पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।<br>अभिलेख के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि अपर कलेक्टर ने तहसीलदार का सीमांकन आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया और पुनः सरहदी कृषकों को सूचना देते हुए | |

[कृ. प. उ.

२

R-420-III/15 शीका

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| M | प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया है ।<br><br>अपर कलेक्टर के इस आक्षेपित आदेश दि. 13-12-14 में मैं कोई भी बात नहीं पाता हूँ जिसकी वजह से उसे परिवर्तित या निरस्त करने की आवश्यकता हो । समस्त सरहद्दी कृषको और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना और पक्षसमर्थन का अवसर देते हुए सीमांकन किए जाने के निर्देश दिए जाने में कोई विसंगति नहीं है, एवं इनके पालन में निगराकार के पास भी अधीनस्थ तहसील न्यायालय में पक्षसमर्थन का अवसर अभी उपलब्ध है ।<br>अतः मैं यह निगरानी अग्राह्य करते हुए यह प्रकरण इसी प्रक्रम पर समाप्त करता हूँ ।<br><br>पक्षकार सूचित हो ।<br>दा. द. हो ।<br><br>(सदस्य) | |

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.